

राजस्थान सरकार

"श्रम विभाग"

क्रमांक:-एफ.18(16)/श्रम/वि/2010/

जयपुर दिनांक : 24.11.2015

'अधिसूचना'

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 16 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय में जारी अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 04.06.2010 के अतिक्रमण में राज्य सरकार एतद्वारा सभी श्रेणी के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों के लिए अंशदान राशि 1/- (अंकेन एक रूपया) मासिक की दर निर्धारित करती है।

यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त अंशदान राशि के पूरे 5 (पांच) वर्षों के लिए रुपये 60.00 (अंकेन साठ रूपये) इकट्ठा जमा करायी जा सकेगी, परन्तु 56 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु के निर्माण श्रमिकों से अंशदान राशि क्रमशः 4 से 1 वर्ष के लिए ही ली जायेगी।

यह अधिसूचना, इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

राज्य पाल के आदेश से,



(धनराज शर्मा)


अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.18(16)/श्रम/वि/2010/20315-20

जयपुर दिनांक : 24.11.2015

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सहित राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
2. संयुक्त सचिव, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि विकास अधिकारियों और इंजीनियरिंग विभागों के सहायक अभियन्ताओं को अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करावें तथा अंशदान की राशि अधिसूचना के अनुसार प्राप्त करने हेतु सूचित करें।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (समस्त)।
5. मुख्य अभियन्ता, सा.नि.विभाग, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग तथा जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. एसीपी, श्रम विभाग को अधिसूचना की प्रति विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु।



अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव